



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 20 अप्रैल, 2020 ई०
(चैत्र 31, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 882/दस-लाइसेंस-77/बियर फुटकर नियमावली/2020-2021

प्रयागराज, दिनांक : 20 अप्रैल, 2020 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-14

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

**उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)
(अद्वारहवां संशोधन) नियमावली, 2020**

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (अद्वारहवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी,

2-(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2-का संशोधन-उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2(1) परिभाषायें जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किष्पित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;

(ग) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ङ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;

(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(ज) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा।

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2(1) परिभाषायें जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किष्पित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मिलित हैं;

(ग) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ङ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहिता पुत्री/पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता से है और इसमें वे सम्मिलित हैं;

(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(ज) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के समानुपात में किया जायेगा।

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात् प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से है।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(अ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;

(ट)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य, अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी मूल्य के रूप में यवासवनी स्तर पर संदेय होगी और यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन-पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

(ढ)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(ण)"ऋणशोधन क्षमता"का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;

(त) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार-पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(अ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;

(ट)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य, अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी मूल्य के रूप में यवासवनी स्तर पर संदेय होगी और यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन-पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर की धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

(ढ)"पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(ण)"ऋणशोधन क्षमता"का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय मानदण्ड से है;

(त) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार-पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी;

(ध) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3-नियम-6 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

4-नियम 8 का संशोधन- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें-

फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी- अर्थात्-

(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी;

(ध) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(न) 'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोहलिक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8-आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें-

फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी- अर्थात्-

(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी/मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात न होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रह सकता है।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस बना रह सकेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस बना रह सकेगा दो व्यक्तियों के वैधानिक दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा:-

(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी/यवासवनी/मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन अनुज्ञात न होगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रह सकता है।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की दशा में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस बना रह सकेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (उत्तराधिकारी) यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस बना रह सकेगा दो व्यक्तियों के वैधानिक दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा। परन्तु नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा:-

(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्राप्त करेगा।

(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से अधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्राप्त करेगा।

(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।

(झ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् 48 घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि का समायोजन लाइसेंस फीस के सापेक्ष किया जायेगा।

(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नहीं होगी।

परन्तु नवीकरण हेतु गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र प्रतिग्राह्य होंगे तथा नये और अधिक मूल्य के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5-नियम-10 का संशोधन- उक्त नियमावली में, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

10-लाइसेंसधारी का चयन-

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(नौ) यह कि आवेदक बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नहीं किया है।

(झ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नहीं होगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।

नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10-लाइसेंसधारी का चयन-

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(दो) नवीनीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लाटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, मॉडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में सभी श्रेणी की देशी शराब, मॉडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी, जिसमें नवीकृत दुकानें भी सम्मिलित होंगी।

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लाटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, मॉडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, मॉडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण के लिए लागू नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

6-नियम-12 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान—यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, राष्ट्रीय बचत-पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी। परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी।

यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

7-नियम-13 का संशोधन उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम-13 बीयर का उठान—

(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जायं, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2(ख) से एवं जिला/ प्रभार/ राज्य के एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनी से आयातित विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2(ख) अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी वि0म0-2(ख) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान—यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी।

यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-13 बीयर/वाइन का उठान—

(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जायं, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/2(ख) से एवं जिला/ प्रभार/ राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, जो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य— बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांग-पत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

8-नियम-15 का संशोधन— उक्त नियमावली में, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम-15— लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का निस्तारण—

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की अविक्रीत पायी गयी मात्रा की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार एवं पैकेजिंगवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन जिनको 5:00 बजे अपराह्न तक जिला के थोक विक्रेता को वापस की जायेगी। अवशेष स्टॉक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा और साथ ही अवशेष स्टॉक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ऐसे स्टॉक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।

9-नियम-17 का संशोधन— उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम-17 लाइसेंस का निलम्बन/ निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ—

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है—

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य— बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांग-पत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी के लिए कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर/वाइन / कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-15— लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का निस्तारण—

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की अविक्रीत पायी गयी मात्रा की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार एवं पैकेजिंगवार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन दोपहर 12 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन जिनको 5:00 बजे अपराह्न तक जिला के थोक विक्रेता को वापस की जायेगी। अवशेष स्टॉक का रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा और साथ ही अवशेष स्टॉक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ऐसे स्टॉक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-17 लाइसेंस का निलम्बन/ निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ—

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई बोतल पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड नहीं लगाया गया है,
- (ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओशधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।
- (घ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राजस्व से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।
- (ङ) यदि अधिनियम या नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जा में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।
- (च) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।
- (छ) यदि यह पाया जाता है कि बोतलों/पात्रों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है।
- (ज) यदि लाइसेंस युक्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है।
- (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/ उसका तनुकरण, उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई बोतल/कैन पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड नहीं लगाया गया है,
- (ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओशधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।
- (घ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राजस्व से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।
- (ङ) यदि अधिनियम या नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जा में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।
- (च) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।
- (छ) यदि यह पाया जाता है कि बोतलों/पात्रों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है।
- (ज) यदि लाइसेंस युक्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है।
- (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/ उसका तनुकरण, उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(2) पूर्वोक्त स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो उसकी जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी को किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(5) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के मामले में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा—

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो उसकी जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी को किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(5) फुटकर लाइसेंसों से सम्बंधित प्रशमन योग्य उल्लंघनों के मामलों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा—

क्र०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)	क्र०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना	2,500	3,000	5,000	1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना	2,500	3,000	5,000
2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना	5,000	7,000	10,000	2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना	10,000	15,000	20,000	3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	10,000	15,000	20,000	4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	10,000	15,000	20,000
5	बोतलों और पौव्यों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना	10,000	15,000	20,000	5	बोतलों और पौव्यों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना	10,000	15,000	20,000
6	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना	5,000	7,000	10,000	6	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना	5,000	7,000	10,000

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना	20,000	25,000	30,000	7	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना	20,000	25,000	30,000
8	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना	25,000	30,000	50,000	8	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना	25,000	30,000	50,000
9	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000	9	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000
10	मद्य निषेध, दिवसों /बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना	30,000	40,000	50,000	10	मद्य निषेध, दिवसों /बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना	30,000	40,000	50,000
11	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना	20,000	25,000	30,000	11	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
12	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय	75,000	1,50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही	12	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय	75,000	1,50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
13	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना	5,000	10,000	20,000	13	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना	5,000	10,000	20,000
14	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना	2,000	5,000	10,000	14	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना	2,000	5,000	10,000
15	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 14 तक पर अंकित न हो	2,000	5,000	10,000	15	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर (सदभावी कारणों से) पाया जाना	25000	50000	निरस्तीकरण की कार्यवाही

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					16	कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर एवं वाइन की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्तुल्य बीयर एवं वाइन के त्रैमासिक उठान में किये गये विलम्ब की स्थिति में।	50000	50000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
					17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 16 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

10-नियम-17 क का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

17 क-अन्तरिम व्यवस्थापन—

(क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम चौदह दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा।

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टैण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

17 क-अन्तरिम व्यवस्थापन—

(क) यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम चौदह दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा।

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टैण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

11-नियमावली के साथ संलग्न अनुज्ञापन प्रपत्र-एफ0एल0-5(ख) का संशोधन-उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
प्रपत्र एफ0एल0-5(ख)
(नवीकरण हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....
लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :.....
दक्षिण :.....
पूरब :.....
पश्चिम :.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते-
(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते
(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र.....निवासी
(4).....पुत्र.....निवासी

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रपत्र एफ0एल0-5(ख)
(नवीकरण हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....
लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :.....
दक्षिण :.....
पूरब :.....
पश्चिम :.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते-
(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते
(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र.....निवासी
(4).....पुत्र.....निवासी

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और 275 मि०ली० में बीयर एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक बीयर लाइसेंसधारी से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2ख) से बीयर और कम तीव्रता पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
- 3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर 'में' उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व एल०ए०बी० तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल०ए०बी० के लिये 1000 मि०ली० व 275 मि०ली० की मानक बोटलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों या कैनो (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और 275 मि०ली० में बीयर एवं 1000 मि०ली०, 275 मि०ली० की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
- 3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर 'में' उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500 मि०ली०, 330 मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000 मि०ली० व 275 मि०ली० की मानक बोटलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 5- बीयर/ एल0ए0बी0 की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
- 6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसका वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी बीयर/एल0ए0बी0 के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
- 9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
 "> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
 > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
- 10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 5- बीयर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय के लेबिल पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
- 6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
- 9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
 "> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
 > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
- 10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग व 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12- उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
- 13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोड या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
- 14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रीट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
- 15- सिवाय लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।
- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

- 11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 ली0 भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12- उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
- 13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोड या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
- 14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रीट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
- 15- सिवाय लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।
- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

दिनांक
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

सामान्य और विशेष शर्तें

20- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

दिनांक
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

12-प्रपत्र-5ख(1) प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली, में, प्रपत्र 5ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर (एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोटलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या..... वर्ष.....
जिला
मुहल्ला.....
लाइसेंस फीस रुपया(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :
दक्षिण :
पूरब :
पश्चिम :

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र.....निवासी
(4).....पुत्र.....निवासी

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या..... वर्ष.....
जिला
मुहल्ला.....
लाइसेंस फीस रुपया(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में).....
.....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :
दक्षिण :
पूरब :
पश्चिम :

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी
(3).....पुत्र.....निवासी
(4).....पुत्र.....निवासी

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और (275 मि०ली०) में बीयर एवं 1000मि०ली०, 275मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना.....तहसील.....के लिये दिनांक से 31 मार्च 20 हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

निबन्धन एवं शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (एल०ए०बी० सहित) की आपूर्ति, जिला के थोक बियर लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2ख) से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् अधिमानता: ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2ख) से बीयर और एल०ए०बी० की आपूर्तियाँ प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
- 3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के "बाहर" उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली०, 300 मि०ली० और (275 मि०ली०) में बीयर व एल०ए०बी० तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल०ए०बी० के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोटलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोटलों, (650 मि०ली०), (500 मि०ली०), (330 मि०ली०), (300 मि०ली०) और (275 मि०ली०) में बीयर एवं 1000मि०ली०, 275मि०ली० की धारिता में केवल एल०ए०बी० और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत.....स्थान, पुलिस थाना.....तहसील.....के लिये दिनांक से 31 मार्च 20 हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य एवं विशेष शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमेंट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि०श०-2/2ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि०श०-2/2ख) से बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
- 3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के "बाहर" उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।
- 4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि०ली०, 500मि०ली०, 330मि०ली० 300 मि०ली० और 275 मि०ली० में बीयर व एल०ए०बी० एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल एल०ए०बी० के लिये 1000मि०ली० व 275मि०ली० की मानक बोटलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

निबन्धन एवं शर्तें

सामान्य एवं विशेष शर्तें

- 5- बीयर/ एल0ए0बी0 की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
- 6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर की बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं उसका वेबसाइट upexciseonline.in पोर्टल पर SMS के माध्यम से पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉंगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री तथा दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी बीयर/एल0ए0बी0 के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त लाइसेंस युक्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जायेगी।
- 9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
 "> दुकान के परिसर के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
 > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
- 10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

- 5- बीयर/वाइन/ एल0ए0बी0 की बोतलों या कैंस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। फुटकर बिक्री का लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
- 6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों एवं कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- 7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं उसका वेबसाइट upexciseonline.in पोर्टल पर SMS के माध्यम से पर अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉंगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री तथा दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त लाइसेंस युक्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र अनुरक्षित करने की अपेक्षा की जायेगी।
- 9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
 "> दुकान के परिसर के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
 > शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
- 10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

निबन्धन एवं शर्तें

सामान्य एवं विशेष शर्तें

- 11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग व 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12- उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं की जानी चाहिए।
- 13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनो, उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोड या प्रूफकैप या मोहरों से बिगाड़ करना, (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- 14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
- 15- सिवाय लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गौंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है।
- 11- लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित बीयर प्रत्येक अलग-अलग तथा 3 ली० भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग एवं 6 लीटर की मात्रा से अधिक कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।
- 12- उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं की जानी चाहिए।
- 13- लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनो, उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोड या प्रूफकैप या मोहरों से बिगाड़ करना, (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।
- 14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
- 15- सिवाय लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
- 16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।
- 17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गौंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 18- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है।

निबन्धन एवं शर्तें

सामान्य एवं विशेष शर्तें

- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- 20- लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

- 19- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- 20- लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

दिनांक
जिला.....

दिनांक
जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

लाइसेंस प्राधिकारी

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 882 /X-Licence-77/ Beer Retail Niyamawali /2020-2021

Prayagraj, dated: April 20, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 published vide Excise Commissioner notification no. 12011/X-Licence77/Allahabad/ March 21, 2001 (as amended time to time):

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF BEER) (EIGHTEENTH AMENDMENT) RULES, 2020.

1.Short title and Commencement (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Beer) (Eighteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2.Amendment of rule-2-In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Beer) Rules,2001, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 setout in Column I below, the rule as setout in Column II shall be substituted, namely:

Column I

Existing rule

2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910.

Column II

Rule as hereby substituted

2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a)"Act" means the United Provinces Excise Act, 1910.

Column I*Existing rule*

- (b) "**Beer**" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v.
- (c) "**Daily Licence Fee**" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year.
- (d) "**Excise Year**" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;
- (e) "**Family**" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
- (f) "**Form**" means the form appended to these rules;
- (g) "**Licensing Authority**" means the Collector of the District;
- (h) "**Licence fee**" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:

Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year.

- (i) "**Security amount**" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through National Saving Certificate /Fixed deposit receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.

Provided that in case of renewal security deposited prior in cash shall be acceptable until it is not refunded.

- (j) "**Low Strength alcoholic beverages**" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (b) "**Beer**" includes ale, stout, porter, cider and all other fermented liquors made from malt having alcoholic strength from 3% v/v upto 8% v/v.
- (c) "**Daily Licence Fee**" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole year.
- (d) "**Excise Year**" means the financial year commencing from April 1 to March 31 of the next calendar year;
- (e) "**Family**" means and includes spouse (husband or wife), dependent sons(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
- (f) "**Form**" means the form appended to these rules;
- (g) "**Licensing Authority**" means the Collector of the District;
- (h) "**Licence fee**" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of beer , **Wine** and Low Alcoholic Beverages in retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof:

Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the year.

- (i) "**Security amount**" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.

Provided that in case of renewal security deposited prior in cash **or through National saving Certificate** shall be acceptable until it is not refunded.

- (j) "**Low Strength alcoholic beverages**" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol upto 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavouring or colouring matter or both and any other material so as to give it a special flavor.

Column I*Existing rule*

- (k) **"Additional Consideration fee"** means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Brewery level and recoverable by brewery from wholesale supplier in addition to Ex-brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.
- (l) **"Earnest money"** means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules.
- (m) **"Hierarchy"** means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery.
- (n) **"Portal"** means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution.
- (o) **"Solvency"** means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence.
- (p) **'Individual'** means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application.
- (q) **"Settlement"** means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the Excise Department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
- (r) **"consideration fee"** means a fee for beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages .
- (s) **"State"** means the State of Uttar Pradesh.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (k) **"Additional Consideration fee"** means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of beer to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Brewery level and recoverable by brewery from wholesale supplier in addition to Ex-brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.
- (l) **"Earnest money"** means the amount equal to 1/10th of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules.
- (m) **"Hierarchy"** means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e/lottery.
- (n) **"Portal"** means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution.
- (o) **"Solvency"** means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence.
- (p) **'Individual'** means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application.
- (q) **"Settlement"** means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the Excise Department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
- (r) **"consideration fee"** means a fee for beer, wine and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of beer and low alcoholic beverages .
- (s) **"State"** means the State of Uttar Pradesh.
- (t) **"Wine"** means the product obtained on alcoholic **fermentation** of grape juice or pulp or juice of any other fruit, natural or forfeited the alcoholic content where of does not exceed 42% proof spirit.

Column I*Existing rule*

- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

6. Amendment of rule-3. In the said rules, for existing rule 6 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

Column I*Existing rule***6. Grant of licence:**

The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through National Saving Certificate/ Fixed deposit receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

8. Amendment of rule-4. In the said rules, for existing rule 8 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

Column I*Existing rule***8- Eligibility conditions for applicant-**

Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:

- (a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.

No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop:

No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:

Column II*Rule as hereby substituted*

- (2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Column II*Rule as hereby substituted***6. Grant of licence:**

The licence shall be granted on payment of licence fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of licence.

8- Eligibility conditions for applicant-

Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:

- (a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.

No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ Brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop:

No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:

Column I*Existing rule*

Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible.

(b) Be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.

(c) Not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the Competent Court of law.

(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.

(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:

- (i) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
- (ii) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules;
- (iii) That he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.

Column II*Rule as hereby substituted*

Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the legal heir (s) of deceased if otherwise eligible, may continue to hold the license or in case of death of both persons their legal heir(s), if otherwise eligible may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible.

(b) Be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.

(c) Not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the Competent Court of law.

(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop. Provided, in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.

(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:

- (i) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
- (ii) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules;
- (iii) That he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.

Column I*Existing rule*

- (iv) That in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.
- (v) That he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
- (vi) That he is not in arrear of any public dues or Government dues.
- (vii) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing authority if required.
- (viii) That applicant is not involved in *mafia* activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in *mafia* activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
- (ix) That applicant is not an Advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.
- (x) That in case of being selected as licensee, bank Draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
- (xi) That he has not made use of Bank Draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.
- (e) The applicant shall upload a scanned copy of Bank Draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (iv) That in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.
- (v) That he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
- (vi) That he is not in arrear of any public dues or Government dues.
- (vii) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing authority if required.
- (viii) That applicant is not involved in *mafia* activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in *mafia* activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
- (ix) That applicant is not an Advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.
- (x) That in case of being selected as licensee, bank Draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
- (xi) That he has not made use of Bank Draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.
- (e) The applicant shall upload a scanned copy of Bank Draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.

Column I*Existing rule*

In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection. The earnest money shall be adjusted against the license fee.

- (f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax Valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district.

Provided that for renewal solvency certificates produced during the settlement of previous year shall be acceptable and there shall be no need of new solvency certificate along with added value.

Column II*Rule as hereby substituted*

In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

- (f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax Valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district.

Provided, in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

10.Amendment of rule-5. In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I*(Existing rule)***10-Selection of licensee-**

(a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

(ii) In case of non-renewal, of licences, licensees shall be selected shop-wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the district, wherein renewed shops shall be included.

Column-II*(Rule as hereby substituted)***10-Selection of licensee-**

(a) (i) License of shop may be renewed online under the terms and conditions as specified by the State Government.

(ii) In case of non-renewal of licences, licensees shall be selected shop-wise through the process of e-lottery or e-tender as specified by the State Government through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.

(b) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the order of country liquor, Model Shops, foreign liquor and beer shops as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two shops including all categories of country liquor, model shop, foreign liquor and beer shall be allotted in favour of an applicant in the entire State

Column I
Existing rule

- (c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
- (d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

12.Amendment of rule-6-In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column I
Existing rule

12. Payment of License fee and Security amount-

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through National Saving Certificate/ Fixed deposit receipt pledged in favowr of District Excise Officer or through e-payment. Provided, in case of renewal security deposited prior in cash shall be acceptable until it is not refunded.

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.

Column II

Rule as hereby substituted

Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to the renewal of licenses as per the criteria laid down by the State Government;

Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery.

- (c) In case the selected applicants does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or a unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the Licensing authority shall cancel the allotment and take immediate necessary steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.
- (d) In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the Government.

Column II

Rule as hereby substituted

12. Payment of License fee and Security amount-

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favowr of District Excise Officer or through e-payment.

Provided, in case of renewal security deposited prior in **cash or through National Saving Certificate** shall be acceptable until it is not refunded.

In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government.

Column I*Existing rule*

If he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

13.Amendment of rule-7-In the said rules, for existing rule 13 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column I*Existing rule***13.Lifting of beer**

(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer and in addition to it of Low alcoholic beverages from any wholesale licence (F.L.2B) of the districts, and FL-2D of district/charge/ State after making full payment of cost price of beer including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L-2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.

In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.

(b) *The Maximum Retail Price*- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the labels of bottles of beer and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the labels of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.

(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter beer at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer lifted in the preceding year.

Column II*Rule as hereby substituted*

If he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government

Column II*Rule as hereby substituted***13.Lifting of beer/Wine**

(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer , **wine** in addition to Low alcoholic beverages from any wholesale licence (**FL-2/F.L.2B**) of the districts, and FL-2D of district/charge/ State after making full payment of **cost price including** all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the **FL-2/F.L-2B** licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall **obtain supplies** from wholesale **licensees** of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.

In case of insufficient supply of any district, district excise officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.

(b) *The Maximum Retail Price*- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the labels of bottles of beer, **wine** and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the labels of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.

(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift **beer/Wine/Low strength alcoholic beverage (LAB)** to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter **Beer/Wine/Low strength alcoholic beverage (LAB)** at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of **Beer/Wine/Low strength alcoholic beverage (LAB)** lifted in the preceding year.

15. Amendment of rule-8-In the said rules, for existing rule 15 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column I

Existing rule

15. Disposal of Balance Stock left at the expiry of the licence-

Any balance of beer and Low Alcoholic Beverages quantity found unsold at the expiry of the term of license shall be declared by licensee brand wise, volume wise, strength wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day upto 12 O clock and shall be returned by him to the wholesale shop of the district by 5.00 p.m. of the next day of expiry of license. Seperate register shall be maintained for balance stock and shall be also uploaded on the portal by District Excise Officer. The disposal of such stock shall be made in a manner as prescribed by the State Government.

17. Amendment of rule-9-In the said rules, for existing rule 17 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column I

Existing rule

17- Suspension /cancellation and Compound of the licence and penalties.

(1) Licensing authority may suspend or cancel the license:-

(a) if any bottle is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry the Security Code affixed duly approved by the Excise Department as proof of payment of duty.

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug (for which license is not granted) is found in the licensed premises.

(c) if the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.

(d) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or any other law for the time being in force relating to revenue, or of any cognizable and non-bailable offence, or any offence punishable under Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act.1985 or of any offence punishable under Sections 482 to 489 of the Indian Penal Code.

(e) If any liquor or intoxicating drug is found in the possession of licensee against the provisions of the Act or Rules.

(f) If it is found that the licence has been obtained in a false name and the person is holding the licence on behalf of some other person.

(g) If it is found that price has been charged from the consumers more than the M.R.P. printed on the labels of bottles/containers.

Column II

Rule as hereby substituted

15. Disposal of Balance Stock left at the expiry of the licence-

Any balance of beer, **wine** and Low Alcoholic Beverages quantity found unsold at the expiry of the term of license shall be declared by licensee brand wise, volume wise, strength wise and packaging wise before the District Excise Officer on the next day upto 12: 00 (noon) clock and shall be returned by him to the wholesale shop of the district by 5.00 p.m. of the next day of expiry of license. Seperate register shall be maintained for balance stock and shall be also uploaded on the portal by District Excise Officer. The disposal of such stock shall be made in a manner as prescribed by the State Government.

Column II

Rule as hereby substituted

17- Suspension /cancellation and Compound of the licence and penalties.

(1) Licensing authority may suspend or cancel the license:-

(a) if any bottle is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry the Security Code affixed duly approved by the Excise Department as proof of payment of duty.

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug (for which license is not granted) is found in the licensed premises.

(c) if the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false.

(d) If the licensee is convicted of an offence punishable under the Act or any other law for the time being in force relating to revenue, or of any cognizable and non-bailable offence, or any offence punishable under Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act.1985 or of any offence punishable under Sections 482 to 489 of the Indian Penal Code.

(e) If any liquor or intoxicating drug is found in the possession of licensee against the provisions of the Act or Rules.

(f) If it is found that the licence has been obtained in a false name and the person is holding the licence on behalf of some other person.

(g) If it is found that price has been charged from the consumers more than the M.R.P. printed on the labels of bottles/containers.

Column I
Existing rule

(h) If any caramel, colour, essence, hologram/shrink sleeve or barcode, label, capsule, seal or other illegal material found in licence premises .

(i) If any Adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in licence premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) The licensing Authority shall immediately suspend the License and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security deposit. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of notice. Thereafter, the licensing authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee.

(3) The licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund for suspension or cancellation of licence under these rule.

(4) In case the licence is cancelled the licence fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favour of the Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise licence.

(5) Matter of compoundable breaches on retail licenses such as below shall be imposed with minimum compounding fee :-

Sl. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Shop found opened before or after the stipulated time.	2,500	3,000	5,000
2	Unauthorized sales man found to be making sale.	5,000	7,000	10,000
3	Stock register not produced when asked for.	10,000	15,000	20,000

Column II

Rule as hereby substituted

(h) If any caramel, colour, essence hologram/shrink sleeve or barcode, label, capsule, seal or other illegal material found in licence premises .

(i) If any Adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in **the licensed** premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) **In the aforesaid condition ,-**

The Licensing Authority shall immediately suspend the license and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security deposit. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of notice. Thereafter, the licensing authority shall pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee.

(3) The licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund for suspension or cancellation of licence under these rule.

(4) In case the licence is cancelled the licence fee and security amount deposited by him shall stand forfeited in favour of the Government and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund. Such licensee may also be blacklisted and debarred from holding any other excise licence.

(5) **Matter of compoundable breaches pertaining to retail licenses shall be liable to imposition with the following minimum compounding fee :-**

Sl. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Shop found opened before or after the stipulated time.	2,500	3,000	5,000
2	Unauthorized sales man found to be making sale.	5,000	7,000	10,000
3	Stock register not produced when asked for.	10,000	15,000	20,000

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Stock register found incomplete.	10,000	15,000	20,000	4	Stock register found incomplete.	10,000	15,000	20,000
5	Tempering with bottles and quarters or their labels or bar code, pilfer proof cap or seals .	10,000	15,000	20,000	5	Tempering with bottles and quarters or their labels or bar code, pilfer proof cap or seals.	10,000	15,000	20,000
6	Found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5,000	7,000	10,000	6	Found having recourse to inducement to the customer with a view to increasing sales such as dancing or gambling.	5,000	7,000	10,000
7	To store duty paid stock in unauthorized premises/ware house.	20,000	25,000	30,000	7	To store duty paid stock in unauthorized premises/ware house.	20,000	25,000	30,000
8	Duty paid stock being found in excess of account.	25,000	30,000	50,000	8	Duty paid stock being found in excess of account.	25,000	30,000	50,000
9	found selling of loose liquor.	5,000	10,000	15,000	9	Found selling of loose liquor.	5,000	10,000	15,000
10	found making sale of liquor during days of prohibition and closure.	30,000	40,000	50,000	10	Found making sale of liquor during days of prohibition and closure.	30,000	40,000	50,000
11	Any alteration in the premises without permission.	20,000	25,000	30,000	11	Any alteration in the premises without permission.	20,000	25,000	30,000
12	Found selling of liquor above the prescribed MRP.	75,000	1,50,000	Proceeding of cancellation of licence	12	Found selling of liquor above the prescribed MRP.	75,000	1,50,000	Proceeding of cancellation of licence
13	Non displaying of essential information according to rule or displaying faulty information on the signboard installed outside the premises.	5,000	10,000	20,000	13	Non displaying of essential information according to rule or displaying faulty information on the signboard installed outside the premises.	5,000	10,000	20,000
14	On being found no proper arrangement of cleanliness in the shop.	2,000	5,000	10,000	14	On being found no proper arrangement of cleanliness in the shop.	2,000	5,000	10,000

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 14.	2,000	5,000	10,000	15	If liquor issued to any one particular shop is found in another shop (due to bonafide reasons).	25,000	50,000	Proceeding of cancellation of license.
					16	Delay in meeting the requirement to lift in each quarter beer and wine at least equivalent to concideration fees involved in quantity of forigen liquor lifted in the preceding year.	50,000	50,000	proceeding of cancellation of license
					17	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 16.	2,000	5,000	10,000

17A. Amendment of rule-10-In the said rules, for existing rule 17A set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column I
Existing rule

17A- Interim Settlement –

(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the Licensing Authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement:

Provided that the Licensing Authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without taking prior permission of Excise Commissioner.

Column II
Rule as hereby substituted

17A- Interim Settlement –

(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the Licensing Authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement:

Provided that the Licensing Authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without **prior intimation to the** Excise Commissioner.

Column I*Existing rule*

(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

Column II*Rule as hereby substituted*

(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

11. Amendment of Form F.L. 5B-In the said rules, for existing Form setout in Column-I below, the Form as setout in Column-II shall be substituted, namely:

Column I*Existing Form*

F.L.--5B

(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including L.A.B.) in sealed Bottles for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co applicant
Photo of shop	

Latitude/Longitude of shop.....
 Licence No.....
 District.....
 Locality.....
 Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
 Security amount Rs...(in figures)..... (in words)
 Description of premises (without boundaries)
 North.....
 South.....
 East.....
 West.....
 Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
 1.....s/o.....R/o.....
 2.....s/o.....R/o.....
 Name, Father's Name & Address of Salesmen---
 1.....s/o.....R/o.....
 2.....s/o.....R/o.....
 3.....s/o.....R/o.....
 4.....s/o.....R/o.....

Column II*Form as hereby substituted*

F.L.--5B

(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including **Wine & Low strength alcoholic beverages**) in sealed Bottles for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co applicant
Photo of shop	

Latitude/Longitude of shop.....
 Licence No.....
 District.....
 Locality.....
 Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
 Security amount Rs...(in figures)..... (in words)
 Description of premises (without boundaries)
 North.....
 South.....
 East.....
 West.....
 Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
 1.....s/o.....R/o.....
 2.....s/o.....R/o.....
 Name, Father's Name & Address of Salesmen---
 1.....s/o.....R/o.....
 2.....s/o.....R/o.....
 3.....s/o.....R/o.....
 4.....s/o.....R/o.....

Column I*Existing Form*

licence for the retail sale of beer (including Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml., 500ml., 330ml. 300ml. and 275 ml and in LAB 1000ml., 275ml are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s)at.....(place) in Police Station.Tahsil in the District ofw.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Low Alcoholic Beverages) from the wholesale Beer licensee (F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licensed premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml., 330ml., 300ml. and 275 ml of beer and LAB and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.

Column II*Form as hereby substituted*

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml., 500 ml., 330 ml., 300 ml. and 275 ml. and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml **as well as wine in such capacities as provided in relevant rules** are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s)at.....(place) in Police Station.Tahsil in the District ofw.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including **Wine & Low Alcoholic Beverages**) from the **wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district** after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the **F.L.-2/ F.L.-2B** licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, **wine** and low alcoholic beverages from wholesale licensee (**F.L.-2/ F.L.2B**) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.
2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.
3. Sale at the licensed premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.
4. Only Standard bottles or cans of 650ml., 500ml., 330ml., 300ml. and 275 ml of beer and **Low strength alcoholic beverage as well as wine in such capacities as provided in relevant rules** and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.

General and Special conditions

5. Maximum retail price will be printed beer/BLow Alcoholic Beverages bottles or cans. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the Competent Inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed Security Code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

General and Special conditions

5. Maximum retail price shall be printed on the label of beer/**wine**/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer, **wine** and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the Competent Inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/**Wine**/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S(Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed Security Code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

General and Special conditions

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain Identity Cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by Inspecting Authorities.

11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time except under permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of Sub-inspector or to a soldier or a official in uniform.

13. The Licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, Security Code affixed under Security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds

General and Special conditions

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain Identity Cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by Inspecting Authorities.

11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately **and 3 litres of wine bottled in India and imported, both separately** as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of Sub-inspector or to a soldier or a official in uniform.

13. The Licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, Security Code affixed under Security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

General and Special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or Licensing Authority from time to time.

Date.....

District.....

Licensing Authority

General and Special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or Licensing Authority from time to time.

Date.....

District.....

Licensing Authority

12. *Insertion of new form-5B (1)*-In the said rules for form 5B, the following form shall be substituted, namely-

F.L.—5B (1)
(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including L.A.B.) in sealed Bottles
for consumption "off" the premises

Photo of
applicant

Photo of
shop

Latitude/Longitude of shop.....
Licence No.....
District.....
Locality.....
Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
Security amount Rs....(in figures)..... (in words)
Description of premises (without boundaries)---
North.....
South.....
East.....
West.....
Name, Father's Name & Address of License---
1.....S/o.....R/o.....
Name, Father's Name & Address of Salesmen---
1.....S/o.....R/o.....
2.....S/o.....R/o.....

F.L.—5B (1)
(FOR NEW LICENCE)

Licence for the Retail Sale of Beer (Including Wine & L.A.B.) in sealed Bottles
for consumption "off" the premises

Photo of
applicant

Photo of
shop

Latitude/Longitude of shop.....
License No.....
District.....
Locality.....
Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
Security amount Rs....(in figures)..... (in words)
Description of premises (without boundaries) ---
North.....
South.....
East.....
West.....
Name, Father's Name & Address of License---
1.....S/o.....R/o.....
Name, Father's Name & Address of Salesmen---
1.....S/o.....R/o.....
2.....S/o.....R/o.....

General and Special conditions

licence for the retail sale of beer (including Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500ml, 330ml 300ml and 275 ml and and in LAB 1000ml, 275ml are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s)at.....(place) in Police Station.Tahsil in the District ofw.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with Rule-6.

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions--

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including Low Alcoholic Beverages) from the wholesale Beer licensee (F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer and low alcoholic beverages from wholesale licensee (F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.

4. Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml, 300ml and 275 ml of beer and LAB and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.

General and Special conditions

licence for the retail sale of beer (including Wine & Low Alcoholic Beverages) in standard bottles or cans of capacities 650ml, 500 ml, 330 ml, 300 ml and 275 ml and only L.A.B. in capacities 1000ml, 275 ml **as well as wine in such capacities as provided in relevant rules** are also allowed for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holders(s)at.....(place) in Police Station.Tahsil in the District ofw.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been made in accordance with Rule-6

The licence is subject to the following special and general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

General and special conditions--

1. The licensee can obtain supply of the Beer (including **Wine & Low Alcoholic Beverages**) from the **wholesale licensee (F.L.-2/F.L.2B) of the district** after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the **F.L.-2/ F.L.-2B** licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of beer, **wine** and low alcoholic beverages from wholesale licensee (**F.L.-2/ F.L.2B**) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/ drunk "on" the premises.

4. . Only Standard bottles or cans of 650ml, 500ml, 330ml, 300ml and 275 ml of **beer and LAB as well as wine in such capacities as provided in relevant rules** and in addition to it 1000ml and 275ml exclusively for Low Alcoholic Beverages shall be sold to any person.

General and Special conditions

5. Maximum retail price will be printed Beer/BLow Alcoholic Beverages bottles or cans. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

General and Special conditions

5. Maximum retail price shall be printed on the label of Beer/**Wine**/Low Alcoholic Beverages. Retail licensee shall not charge more than the printed Maximum Retail Price.
6. The sale of beer ,**wine** and Low Alcoholic Beverages shall be made in sealed bottles or cans of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.
7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25B), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.
8. The licensee shall store entire stock of Beer/**Wine**/Low Alcoholic Beverages in the licence premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles as per prescribed security code under the Track and Trace System.
9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

General and Special conditions

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time except under permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security code affixed under security system, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

General and Special conditions

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below twenty-one years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. The licensee shall not sale retail sale to any purchaser, in quantity more than 7.8 litres of Beer, Bottled In India and imported, each separately **and 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately** as well as 6 litres of Low Alcoholic Beverages at a time, except under permit.

12. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years, Police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles or cans, their labels, security code affixed under security system, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security code making apparatus labels capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

17. The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions or relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

General and Special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or Licensing Authority from time to time.

Date

District

Licensing Authority

General and Special conditions

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except such activities for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with order of Excise Commissioner from time to time in this regards.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or Licensing Authority from time to time.

Date

District

Licensing Authority

P.GURU PRASAD
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.